

न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)**पीठासीन अधिकारी - विनोद कुमार (R.A.S.)**

प्रकरण संख्या 195/2018 (RCMS 2018/00101)	दायर दिनांक 31.08.2019	निर्णय दिनांक 19.08.2019
--	---------------------------	-----------------------------

अनवान

1. विजेन्द्रसिंह पिता शंकरसिंह जी जाति शेखावत राजपुत आयु वयस्क निवासी 34 सी आदर्श कॉलोनी कुम्भानगर चौक, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. सचिन पिता चांदमल भडकत्या जैन आयु वयस्क निवासी 67, 68 सेक्टर नम्बर 1 गांधीनगर चित्तौड़गढ़

वादीगण**बनाम**

1. दीपक पिता सुरेन्द्रकुमार जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. अरुणप्रभा पत्नि सुरेन्द्र कुमार जी जाट आयु वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. नरेन्द्रसिंह पिता ओमप्रकाश जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. महेन्द्रसिंह पिता ओमप्रकाश जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. जसवंती पिता ओमप्रकाश जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
6. यशवन्ती पिता ओमप्रकाश जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
7. सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :- अधिवक्ता श्री छोगालाल जाट
एक तरफा

वादी।
प्रतिवादी।

-:: वाद पत्र धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् कृषि आराजीयात की घोषणा, बंटवाडा ::-

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत निवेदन किया कि मौजा गणेशपुरा पटवार हल्का कश्मौर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की खाता संख्या 140 संवत् 2069-72 के सह खातेदार प्रियंक पिता सुरेन्द्र जाट का 1/15 हक व हिस्सा जरिये पंजीकृत बहनामा दिनांक 18.06.2018 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिसका नामान्तरण संख्या 539 दिनांक 31.07.2018 वादीगण के नाम विक्रेता के



बजाया 1/15 हक व हिस्सा दर्ज किया गया। जिसे वादीगण प्रतिवादीगण 1 व 2 व प्रतिवादीगण संख्या 3 से लगायत 6 के सह खातेदार होकर 1/15 हक हिस्सेदार है। आराजी संख्या 899 रकबा 1.14 हैक्टर, आराजी संख्या 906 रकबा 0.05 हैक्टर, आराजी संख्या 907 रकबा 0.80 हैक्टर, आराजी संख्या 907/1 रकबा 0.16 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 3.15 हैक्टर। विवादित आराजीयात का प्रतिवादीगण व वादीगण के विक्रेता प्रियंका ने मौके पर आपसी तौर पर विभाजन कर रखा था व उसी के तहत विक्रयपत्र की कलम संख्या 2 में अंकित किया गया कि उपरोक्त विक्रित भूमि आराजी नम्बर 744/1 की पश्चिमी सीमा से सटी हुई हिस्सा बनता है। जिससे विक्रेता क्रेता को विक्रय कर रही है व हक व हिस्से को विक्रय करने में प्रतिवादीगण सह खातेदार भी सहमत होकर सहमति स्वरूप अपने अपने हस्ताक्षर किये हैं जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता व अन्य प्रतिवादीगण के मध्य बंटवाडा होकर वादीगण का हक व हिस्सा आराजी नम्बर 744/1 की पश्चिमी सीमा से लगा हुआ है। जिस पर वादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं उसी अुनसार वादीगण अपना हक व हिस्सा घोषित करा बंटवाडा करवाये जाने के अधिकारी होने से वादपत्र वादीगण बंटवाडा आराजीयात पेश है। अतः वादीगण की प्रार्थना है कि वादपत्र पक्ष वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री प्रदान कराई जावें पक्ष वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजीयात में वादीगण का 1/15 व शेष व हिस्सा प्रतिवादीगण का कलम संख्या 2 के अनुसार घोषित किया जाकर बंटवाडा किये जाने की प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री पारित फरमाई जावे।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादी का वाद दिनांक 01.07.2019 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया गया एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण को लिखित में सूचना देकर विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पक्षकारान का बंटवाडा किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय पर्चे मौके एवं नक्शा ट्रेस के दो प्रतियों में प्रस्तुत करे। इस पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/राजस्व/2019/1086 दिनांक 29.07.2019 से विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया जो कि दिनांक 06.08.2019 को रिकार्ड पर लिया गया। दिनांक 19.08.2019 को अधिवक्ता वादी द्वारा बहस रिपोर्ट को एक तरफा सुना गया। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में मौका कमिश्नर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया एवं अंतिम डिक्री पारित किये जाने हेतु कॉर्ट फीस प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा बहस पत्रावली का मनन किया। मौका कमिश्नर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। मनन किया। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा तैयार प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव उचित प्रतीत



होता है अतः विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा गणेशपुरा पटवार हल्का कश्मोर तहसील चित्तौड़गढ़ के विवादित आराजीयात आराजी संख्या 899/1 रकबा 0.21 हैक्टर लगानी 2.31 रूपया कुल किता 1 कुल रकबा 0.21 हैक्टर कुल लगानी 2.31 रूपया का विजेन्द्रसिंह पिता शंकरसिंह शेखावत सचिन पिता चांदमल भडकत्या सा0 चित्तौड़गढ़, आराजी संख्या 899/2 रकबा 0.93 हैक्टर लगानी 10.26 रूपया आराजी संख्या 906 रकबा 0.05 हैक्टर लगानी + कुल किता 2 कुल रकबा 0.98 हैक्टर कुल लगानी 10.26 रूपया का दीपक पिता सुरेन्द्रसिंह 1/14 अरुणप्रभा पत्नि सुरेन्द्रसिंह 1/14 नरेन्द्रसिंह महेन्द्रसिंह जसवन्ती यशवन्ती पिता ओमप्रकाश जाट 12/14 सा0 देह, आराजी संख्या 907 रकबा 1.80 हैक्टर लगानी 45.00 रूपया आराजी संख्या 907/1 रकबा 0.16 हैक्टर लगानी 4.00 कुल किता 2 कुल रकबा 1.96 हैक्टर कुल लगानी 49.00 रूपया का दीपक पिता सुरेन्द्रसिंह 1/14 अरुणप्रभा पत्नि सुरेन्द्रसिंह 51/910 शान्तिलाल पिता हजारीलाल 1/65 नरेन्द्रसिंह महेन्द्रसिंह जसवन्ती यशवन्ती पिता ओमप्रकाश जाट 12/14 सा0देह को तन्हों खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तद्नुसार जमाबंदी में अंकन किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन बदस्तूर रखा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। वकील वादी ने अंतिम डिक्री हेतु कॉर्ट फीस पेश की है जो शामिल पत्रावली रहें। संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तद्नुसार पर्चा अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ़



अंतिम डिफ्री मुकदमा इबताई
(रुल्स 18-21)

न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनवान

1. विजेन्द्रसिंह पिता शंकरसिंह जी जाति शेखावत राजपुत आयु वयस्क निवासी 34 सी आदर्श कॉलोनी कुम्भानगर चौक, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. सचिन पिता चांदमल भडकत्या जैन आयु वयस्क निवासी 67, 68 सेक्टर नम्बर 1 गांधीनगर चित्तौड़गढ़

वादीगण

बनाम

1. दीपक पिता सुरेन्द्रकुमार जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. अरुणप्रभा पत्नि सुरेन्द्र कुमार जी जाट आयु वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. नरेन्द्रसिंह पिता ओमप्रकाश जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. महेन्द्रसिंह पिता ओमप्रकाश जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. जसवंती पिता ओमप्रकाश जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
6. यशवन्ती पिता ओमप्रकाश जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
7. सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

प्रतिवादीगण

—:: वाद पत्र धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत कृषि आराजीयात की घोषणा, बंटवाडा ::—

**प्रकरण संख्या :- 195/2018
(RCMS 2018/00101)**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रुबरु श्री छोगालाल जाट अधिवक्ता वादी एक तरफा प्रतिवादी मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है, एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा गणेशपुरा पटवार हल्का कश्मोर तहसील चित्तौड़गढ़ के विवादित आराजीयात आराजी संख्या 899/1 रकबा 0.21 हैक्टर लगानी 2.31 रुपया कुल किता 1 कुल रकबा 0.21 हैक्टर कुल लगानी 2.31 रुपया का विजेन्द्रसिंह पिता शंकरसिंह शेखावत सचिन पिता चांदमल भडकत्या सा0 चित्तौड़गढ़, आराजी संख्या 899/2 रकबा 0.93 हैक्टर लगानी 10.26 रुपया आराजी संख्या 906 रकबा 0.05 हैक्टर



लगानी + कुल किता 2 कुल रकबा 0.98 हैक्टर कुल लगानी 10.26 रुपया का दीपक पिता सुरेन्द्रसिंह 1/14 अरुणप्रभा पत्नि सुरेन्द्रसिंह 1/14 नरेन्द्रसिंह महेन्द्रसिंह जसवन्ती यशवन्ती पिता ओमप्रकाश जाट 12/14 सा0 देह, आराजी संख्या 907 रकबा 1.80 हैक्टर लगानी 45.00 रुपया आराजी संख्या 907/1 रकबा 0.16 हैक्टर लगानी 4.00 कुल किता 2 कुल रकबा 1.96 हैक्टर कुल लगानी 49.00 रुपया का दीपक पिता सुरेन्द्रसिंह 1/14 अरुणप्रभा पत्नि सुरेन्द्रसिंह 51/910 शान्तिलाल पिता हजारीलाल 1/65 नरेन्द्रसिंह महेन्द्रसिंह जसवन्ती यशवन्ती पिता ओमप्रकाश जाट 12/14 सा0 देह को तन्हों खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है, तद्नुसार जमाबंदी में अंकन किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन बदस्तूर रखा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। पर्चा अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

यह निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ़

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयत	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		



(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ़